#### <u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग – 2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांक: — 82ए / 16</u> संस्थापन दिनांक: —29 / 11 / 16 फाईलिंग नं. 4003622016

- 1. अमृतराव पिता भूरा, उम्र 85 वर्ष
- दौलतराव पिता अमृतराव, उम्र 39 वर्ष दोनों निवासी परसोड़ा, तहसील आमला जिला बैतुल (म.प्र.)

### .....<u>वादीगण</u>

#### वि रू द्व

- 1. शोभाराम पिता ख्यालीराम अटारे, उम्र 60 वर्ष
- 2. लक्ष्मी पति शोभाराम अटारे, उम्र 55 वर्ष
- संजय पिता शोभाराम अटारे, उम्र 35 वर्ष तीनों निवासी परसोड़ा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- सरपंच, ग्राम पंचायत परसोड़ा, तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आमला, जिला बैत्ल (म.प्र.)

.....प्रतिवादीगण

### <u> -: ( आदेश ) :-</u>

## (आज दिनांक 30.10.2017 को पारित)

- 1 इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर प्रस्तुत आवेदन क्रमांक—3 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।
- 2 आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि पूर्व में वादी की ओर से एक आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया था जो कि न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया था परंतु समय के साथ बदली हुई परिस्थितियों में पुनः से वादी के द्वारा उपर्युक्त आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण की ग्राम परसोड़ा में आबादी भूमि पर करीब 70 वर्ष पुराना मकान स्थित है जो कि उनके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य का होकर वादी अमृतराम के नाम पर ग्राम पंचायत अभिलेखों में दर्ज है। उपर्युक्त मकान की दीवारें मिट्टी

की एवं छत लकड़ियों एवं बांस के सहारे कवेलू की निर्मित है जिससे बरसात के पानी की निकासी छत की ओरतिन से दीवारों से करीब दो फिट दूर गिरकर दक्षिण दिशा में स्थित रोड की ओर होती है। वादीगण अपने मकान की मरम्मत पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में स्थित दो फिट रिक्त भूमि से करते चले आ रहे हैं परंतु प्रतिवादीगण क. 01 एवं 02 को प्रतिवादी क. 04 एवं 05 द्वारा शासन की योजनाओं के तहत इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए रिक्त भू—भाग से अधिक आकार का भूखण्ड आवंटित कर आर्थिक अनुदान दिया गया है जिससे कि प्रतिवादीगण क. 01, 02 एवं 03 मकान बनाने के लिए वादीगण की विवादित भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर निर्माण कार्य चालू कर दिये है और जिसके संबंध में उनके द्वारा स्वीकृति संबंधित विभाग से नहीं ली गयी है।

- वादीगण के द्वारा अवैध निर्माण को रोकने के लिए ग्राम पंचायत परसोड़ा तत्पश्चात तहसीलदार आमला में प्रतिवादीगण की शिकायत की गयी थी। तहसीलदार आमला के द्वारा दिनांक 14.10.2016 को निर्माण कार्य निषेधित किये जाने हेतु स्थगन आदेश जारी किया गया था, परंतु उपयंत्री आर.ई.एस. से तकनीकी अभिमत लिये जाने पर आर.ई.एस. के द्वारा त्रुटिपूर्ण अभिमत दिया गया जिसके फलस्वरूप तहसीलदार आमला के द्वारा अपने स्थगन आदेश को दिनांक 18.11.2016 को निरस्त कर दिया गया। प्रतिवादीगण शासकीय योजना का लाभ लेकर निर्माण कार्य कर रहे थे परंतु शासन के द्वारा उनके द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य अवैध पाया गया एवं उन्हें अनुदान किश्त जारी नहीं की गयी जिससे वादीगण का निर्माण कार्य पिछले 9 माह से बंद है परंतु प्रतिवादीगण स्वयं आर्थिक रूप से सक्षम है और स्वयं के खर्चे पर उनके द्वारा निर्माण सामग्री का संग्रहण कर लिया गया है जिससे निर्माण कार्य होने की आशंका प्रबल हो गयी है। यदि प्रतिवदीगण को निर्माण कार्य करने से निषेधित नहीं किया जाता है तो वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावे का उद्देश्य निष्फल हो जावेगा।
- 4 प्रतिवादी के द्वारा उपर्युक्त आवेदन का लिखित में जवाब पेश कर यह लेख किया गया कि प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी निर्माण सामग्री एकत्रित नहीं की गयी है। न ही प्रकरण की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है। प्रतिवादीगण के द्वारा शासन से पट्टा प्राप्त हुआ था। साथ ही आरईएस इंजीनियर के द्वारा जो लेआउट दिया गया था उसकी के अनुसार निर्माण कार्य किया जा रहा है और बरसात के पानी के निकास के लिए पर्याप्त जगह भी छोड़ी गयी है। वादीगण के द्वारा जनपद पंचायत आमला में शिकायत करके अनावेदकगण को मिलने वाली ऋण सहायता राशि पर रोक लगा दी गयी है। प्रतिवादीगण स्वयं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि उनके द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर निर्माण कार्य किया जा सके। अतः आवेदन निरस्त किया जावे।

- 5 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :-
  - 1. क्या वादीगण के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
  - 2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में किया ?
  - 3. क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी ?

# निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क. 01, 02 एवं 03 का निराकरण

- वादी ने अपने आवेदन में यह बताया है कि प्रतिवादीगण का निर्माण कार्य शासन के द्वारा अवैध पाया गया जिस कारण से उन्हें अनुदान की किश्त जारी नहीं की गयी। विवादित भूमि पर निर्माण कार्य विगत 9 माह से बंद था परंतु वर्तमान में प्रतिवादीगण ने स्वयं के व्यय पर निर्माण सामग्री एकत्रित कर ली है। वादी की ओर से समर्थन में फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया है जिसमें निर्माण सामग्री एकत्रित दिखायी दे रही है।
- 7 प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन में यह बताया गया है कि उनके द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है क्योंकि वादी की ओर से उनकी शिकायत जनपद पंचायत में करवाकर उनकी अनुदान राशि रूकवा दी गयी है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा कोई भी निर्माण सामग्री एकत्रित नहीं की गयी है और न ही निर्माण कार्य किया जा रहा है।
- वादी की ओर से मात्र एक फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया है जिसमें निर्माण सामग्री रखी होना दिखायी दे रही है परंतु उक्त फोटोग्राफ से यह दर्शित नहीं हो रहा है कि उक्त निर्माण सामग्री प्रतिवादी के द्वारा ही एकत्रित की गयी है एवं विवादित स्थल पर निर्माण कार्य हेतु है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफ से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। वादी की ओर से यह बताया गया है कि शासन ने प्रतिवादीगण के निर्माण को अवैध पाया है इसलिए अनुदान राशि रोक दी है परंतु इस संबंध में कोई भी दस्तावेज वादी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों में कोई भी परिवर्तन होना प्रथम दृष्टया परिलक्षित नहीं हो रहा है।
- 9 वादी के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पूर्व में भी आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सी.पी.सी. आई.ए.नं. 01 प्रस्तुत किया गया था। इस न्यायालय के द्वारा वादी का उपर्युक्त आवेदन दिनांक 22.12.2016 को निरस्त किया गया। पुनः से वादी के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया है। वादी के द्वारा

पूर्व में प्रस्तुत आवेदन में जो आधार बताये गये थे एवं जो अनुतोष चाहे गये थे वहीं आधार बताते हुए पुनः से वही अनुतोष उक्त आवेदन के माध्यम से चाहा गया है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों में कोई भी परिवर्तन होना दर्शित नहीं हो रहा है। फलतः वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत नहीं पाया जाता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. आई.ए.नं. 03 सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर 10 पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित। तथा दिनांकित कर पारित ।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल